न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास नमित मेहता, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 24/17 राजस्व विविध

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 मु. बज्जु

—प्रार्थी

: ब ना म :

1. करणसिंह पुत्र फतेहसिंह (मृतक) 1/1 समंदर कंवर पत्नि करणसिंह 1/2 मुनीमसिंह पुत्र करणसिंह (मृतक) 1/2/1 सायर कंवर 1/2/2 टंवरसिंह 1/2/3. विरेन्द्रसिह 1/2/4 रणवीरसिंह पुत्र गण मुनीम सिंह 1/3 सोहनकंवर 1/4 ओमकंवर 1/5 सायरसिंह 1/6 लक्ष्मणसिंह पुत्र/पुत्री करणसिंह राजपूत सा. भगतपुरा सह. दातारामगढ़ जिला सीकर

—अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. स्टेट की ओर से श्री गणेश गहलोत एड. राजकीय अभिभाषक उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री धनेश खत्री उपस्थित।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 23.02.2021

1. प्रार्थी स्टेट उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं.3 मु. बज्जु की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.12 को न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी श्री करणसिंह पुत्र फतेहसिंह राजपुत सा. भगतपुरा सह. दातारामगढ़ जिला सीकर को अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर द्वारा दिनांक 04.06.07 को चक 1 एम आर एम में मुरब्बा नं. 194/07 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि का नियम विरूद्ध आवंटन किया गया जिसे निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की सम्बन्धित पत्रावली मंगवाई गयी। अप्रार्थी के पुत्र सायरसिंह ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके पिता की दिनांक 14.09.17 को मृत्युहो गयी है जिनके 9 जायज वारिसान है। वारिसान में मुनीमसिंह का भी देहांत हो चुका है। सभी जायज वारिसन को रिकार्ड पर लिया जावे जिस पर राजकीय अभिभाषक ने कोई आपत्ति नहीं की। उक्तानुसार अप्रार्थी के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता हैं। वारिसान की ओर से श्री धनेश खत्री अधिवक्ता उपस्थित हुए। उभयपक्ष की गुणावगुण पर बहस सुनी गई।
3. स्टेट की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटन अधिकारी एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 04.06.07 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भुमि का आवंटन व विकय) नियम,1975 के अंतर्गत उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.3 के चक 1 एम आर एम में मुरब्बा नं. 194/07 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि भुमि आवंटन की गई थी। आवंटन विनिमय समिति की अनुशंषा बिना किया गया एवं आवंटन पत्रावली में उपलब्ध आवंटन पर्ची पर आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं है।, इससे यह प्रकट होता है कि प्रकरण में निर्धारित प्रकिया पूरी किये बिना और आवंटन पर्ची में हेराफेरी के द्वारा आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भुमि का आवंटन व विक्रय) नियम,1975 के नियम 22(3) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को नियम विरूद्ध किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी भूतपूर्व सैनिक है। वर्ष 1983–84 में भूतपूर्व सैनिको को आवंटन के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत आवेदन के 20 वर्ष पश्चात आवेदन एवं दस्तावेजो की जांच की जाकर अप्रार्थी को 12.06.04को आवंटन अधिकारी ने भूतपूर्व सैनिको हेतु आरक्षित भूमि में से लाटरी के जरिये आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी के पिता को आवंटित चक 2डीएलएमआर मु.नं. 160/43 तहसील कोलायत नं 3 की भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटित हाने एवं एस पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होने की वजह से प्रार्थी को दिनांक 04.06.07 को अन्य आरक्षित भूमि तहसील कोलायत नं. 3 के चक 1 एमआरएम मु.नं. 194/07 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि विनिमय में आवंटित की गयी। जिसकी राशि जमा कराई जा चुकी है तथा आवंटित भूमि का कब्जा भी वर्ष 2008 में आवंटी को प्रदान किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा आवंटन में जो दोष बताये गये है वो प्रकियात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित है इसमें अप्रार्थी की कोई गलती नहीं है। आवंटन आदेश कपट से प्राप्त किया जाना प्रमाणित नहीं है। अपने कथनो व लिखित बहस के समर्थन में वकील अप्रार्थी द्वारा राजस्व मंडल, अजमेंर, राजस्थान के निर्णय दिनांक 09.02.16 मु.सं. 576/16 की प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र पत्र प्रार्थी नियम 22(3) उपनिवेशन आवंटन नियम,1975 खारिज फरमाया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा इस न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में प्रार्थी स्टेट द्वारा आवंटन खारिज किये जाने के संबध में उठाये गये बिन्दू प्रकियात्मक कमियों के संबध में है जैसें आवंटन पर्ची पर सभी सदस्यो के हस्ताक्षर न होना तथा विनिमय समिति की अनुशंषा की कार्यवाही विवरण पत्रावली में लगा नहीं होना। साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को विनिमय में किए गए आवंटन को खारिज करने के संबध में है न कि मूल आवंटन आदेश को। ऐसी स्थिति में यदि केवल विनिमय में किए गये आवंटन आदेश को खारिज किया जाता है तो अप्रार्थी जिसको भूतर्पूक सैनिक कर्मचारी (Ex-Serviceman)कोटे में जमीन आवंटित हुई थी, उसकी मूल आवंटन की क्या स्थिति रहेगी, यह भी विचारणीय है। यह प्रार्थना पत्र प्रकियात्मक कमियो के आधार पर आवंटन खारिज करने के लिए लगाया गया था परन्तु प्रकियात्मक कमियां रखने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना पत्रावली से प्रमाणित नहीं होता है। बावजूद इसके पत्रावली पर आवंटन में प्रकियात्मक कमियां जैसे विनिमय समिति की बैठक आयोजित होने का प्रमाण नहीं होना व आवंटन पर्ची पर आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं होना, स्पष्ट है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में राज्य हित का ध्यान रखते हुए राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 में अप्रार्थी को किए गये भू – आवंटन में नियमो का उल्लंघन तो नहीं हुआ है तथा अप्रार्थी को भूमि आवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबध में आवंटन की विस्तृत जांच किया जाना न्यायेचित प्रतीत होता है।

6. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 22(3) उपनिवेशन आवंटन नियम,1975 आंशिक रूप से स्वीकार किया जा कर अप्रार्थी करणसिंह पुत्र फतेहसिंह राजपुत सा. भगतपुरा सह. दातारामगढ़ जिा सीकर को आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, इगानप, बीकानेर द्वारा दिनांक 04.06.2007 को चक 1 एमआरएम के मुरब्बा नं. 194/07 तादादी 25 बीघा कमाण्ड भूमि का किया गया आवंटन निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी, बज्जु को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किये जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य /सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में आवंटन/विनिमय से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजो एवं आवंटन पत्रावलियों की विधिवत विस्तृत जांच कर 3 माह में न्यायोचित एवं आवंटन नियमानुसार निर्णय पारित करे। अधीनस्थ कार्यालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी, बज्जु को प्रेषित की जावे।

7. आज दिनांक **23.02.2021** को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर,बीकानेर

जिला कलक्टर, बीकानेर